

स्वामी/प्रबन्धक,
द ऑक्सफोर्ड स्कूल,
टिहरी कॉलोनी नवोदय नगर,
रोशनाबाद, जनपद हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर:-27470759, दिनांक: 21.06.2024 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी मायापुर, हरिद्वार द्वारा किया गया, अग्निशमन अधिकारी मायापुर, हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांक: 26.06.2024 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, टैरिस टैंक, होजरील, टैरिस पम्प, फायर अलार्म सिस्टम इत्यादि का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक स्कूल भवन है। भवन में कुल G+3 तल है। जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल 8200 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 1115.24 वर्ग मी० है। भवन/संस्थान की ऊँचाई 12 मी० है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में तथा उप निदेशक महोदय (प्र०/तक०), अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त संस्थान को दिनांक: 26 जून 2024 से 25 जून 2027 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण(Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता, यह मात्र फायर सेफ्टी हेतु निर्गत किया जा रहा है अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाये जाने प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जाये।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी. 2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।

क्रमशः-2-

Accepted
[Signature]

Arvind Chauhan
Manager
Shiv Ratan Education Society
Haridwar (U.K.)